**वित्तीय स्वीकृति**

**संख्या-22/2018/290/एक-5-2018-134/2008**

**प्रेषक,**

**किंजल सिंह ,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**आयुक्त एवं सचिव,**
**राजस्व परिषद, उ0प्र0**
**लखनऊ।**

**राजस्व अनुभाग-5** **लखनऊ : : दिनांक 07 मार्च, 2018**

**विषयः-जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3113/12-(भवन)-23/2007 दिनांक 29 जून, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-10/एक-5-2007-39/06, दिनांक 10 जनवरी, 2007 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 247.89 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-1958/एक-5-2008-134/2008, दिनांक 21 जुलाई, 2008 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त अनावासीय भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित मानको में शिथलीकरण प्रदान करते हुए दो मंजिला भवन के स्थान पर तीन मंजिला भवन बनाये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-3063/एक-5-2009-134/2008, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 के द्वारा रू0 295.83 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उक्त अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1251/एक-5-2012-94/2012, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 द्वारा धनराशि रू0 70.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-882/एक-5-2013/134/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 100.83 लाख अर्थात अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी। स्वीकृत धनराशि से कार्य पूर्ण न होने के कारण उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 381.98 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि **रू0 86.15 लाख (रूपये छियासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)** अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमि0 (पूर्ववर्ती पैकफेड ) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

(6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट रन न हो। अत इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212( vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(7) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा ।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स पर सक्षम स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(11) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(12) प्रायोजनान्तर्गत डिस्मेंटलिंग का प्राविधान किया है। अत: डिस्मेंटलिंग के मलबे से प्राप्त धनराशि को राजकोष में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) **<u>प्रायोजनान्तर्गत सम्पन्न कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता व प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित लोक निर्माण विभाग के अभियन्तागण की टीम से जॉच कराकर कार्य की गुणवत्ता व प्रगति से शासन को 10 दिन में अवगत कराया जाय।</u>**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) वित्त विभाग के कार्यालय- ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

**2**- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**3-** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-252/दस-2018, दिनांक 27 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीया,**
**किंजल सिंह**
**विशेष सचिव।**

**संख्या-22/2018/290(1)/एक-5-2018-134/2008,तददिनांक ।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

**1-** महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

**2-** कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

**4-** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

**5-** जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ।

**6-** उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पूर्ववर्ती पैकफेड)/संबंधित परियोजना प्रबंधक।

**7-** राजस्व अनुभाग-6

**8-** गार्ड पत्रावली।

**आज्ञा से,**
**गिरीश चन्द्र**
**अनु सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।